

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-222

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

\*222. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उनके संबंधित राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में की गई प्रगति के बारे में सूचना/रिपोर्ट मांगी है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है;
- (घ) क्या कतिपय राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“ग्रामीण विद्युतीकरण” के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.04.2018 की तिथि के अनुसार संपूर्ण देश में सभी बसावट वाले जनगणना गांव विद्युतीकृत थे।

गहन निगरानी और व्यवस्थित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं अर्थात दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की प्रगति संबंधित राज्य डिस्कॉमों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमशः [www.ddygjy.gov.in](http://www.ddygjy.gov.in) और [www.sabybhagya.gov.in](http://www.sabybhagya.gov.in) ऑनलाइन बेव पोर्टल पर अद्यतन की जाती हैं।

(ग) : स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां पूर्व में जारी की गई राशि के उपयोग तथा डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान राज्यों को डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत क्रमशः 21,527 करोड़ रुपए तथा 1,541 करोड़ रुपए का अनुदान संवितरित किया गया है। राज्यवार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सृजित करने हेतु डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 14 राज्यों के लिए 11,996 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

“ग्रामीण विद्युतीकरण” के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 222 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत 3 वर्षों के दौरान आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संवितरित अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1	आंध्र प्रदेश	31	128	165	324
2	अरुणाचल प्रदेश	31	101	81	213
3	असम	338	598	401	1,337
4	बिहार	710	1,292	763	2,765
5	छत्तीसगढ़	279	126	552	957
6	गुजरात	58	110	143	312
7	हरियाणा	-	-	45	45
8	हिमाचल प्रदेश	28	-	-	28
9	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	65	65
10	झारखंड	-	327	862	1,189
11	कर्नाटक	44	145	204	393
12	केरल	-	134	87	221
13	मध्य प्रदेश	439	421	598	1,457
14	महाराष्ट्र	43	257	143	443
15	मणिपुर	7	36	33	76
16	मेघालय	-	26	58	83
17	मिजोरम	19	14	42	75
18	नागालैंड	48	21	24	93
19	ओडिशा	514	1,079	366	1,959
20	पंजाब	-	-	15	15
21	राजस्थान	253	349	782	1,383
22	सिक्किम	-	-	18	18
23	तमिलनाडु	77	110	2	189
24	तेलंगाना	5	27	60	93
25	त्रिपुरा	49	78	62	189
26	उत्तर प्रदेश	1,249	2,262	3,149	6,660
27	उत्तराखंड	71	16	33	121
28	पश्चिम बंगाल	305	273	241	819
29	पुडुचेरी	-	1	-	1
30	अंडमान व निकोबाद द्वीपसमूह	-	-	1	1
<b>सकल योग</b>		<b>4599</b>	<b>7932</b>	<b>8995</b>	<b>21527</b>

\*\*\*\*\*

“ग्रामीण विद्युतीकरण” के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 222 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वित्तीय वर्ष 2017-18 (11.10.2017 को शुरुआत से) के दौरान सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य का नाम	(करोड़ रुपये में)
1	असम	42
2	बिहार	115
3	छत्तीसगढ़	43
4	जम्मू एवं कश्मीर	2
5	झारखंड	70
6	केरल	15
7	मध्य प्रदेश	260
8	महाराष्ट्र	15
9	मणिपुर	6
10	नागालैंड	5
11	ओडिशा	76
12	उत्तर प्रदेश	864
13	उत्तराखंड	13
14	पश्चिम बंगाल	14
	<b>कुल</b>	<b>1,541</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-226

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युतीकृत क्षेत्र

\*226. श्री भरत सिंह:

श्री अजय मिश्रा टेनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान देश में विद्युतीकृत क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर राज्य/स्थान-वार व्यय की गई राशि कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“विद्युतीकृत क्षेत्र” के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में बसावट वाले सभी जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। विगत चार वर्षों के दौरान विद्युतीकृत और सघन विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : 2014-15 से 2017-18 तक आरई घटक सहित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीजीजेवाई) तथा 2017-18 के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत अनुदान के रूप में क्रमशः 25,135 करोड़ रुपए तथा 1,541 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। राज्यवार ब्यौरा ब्यौरा **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

“विद्युतीकृत क्षेत्र” के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**विगत चार वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गाँवों का राज्य-वार ब्यौरा**

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	अरुणाचल प्रदेश	107	174	175	854
2	असम	190	942	1218	572
3	बिहार	341	1754	556	332
4	छत्तीसगढ़	67	405	294	348
5	हिमाचल प्रदेश	6	1	27	
6	जम्मू एवं कश्मीर	9	27	5	35
7	झारखंड	161	750	1104	613
8	कर्नाटक			14	25
9	मध्य प्रदेश	86	214	159	44
10	मणिपुर	192	75	121	77
11	मेघालय	43	1	681	218
12	मिजोरम	47	16	24	14
13	नागालैंड	10		76	2
14	ओडिशा	13	1264	1092	544
15	राजस्थान	70	163	263	1
16	त्रिपुरा		9	17	
17	उत्तर प्रदेश	59	1305	162	9
18	उत्तराखंड	4		18	43
19	पश्चिम बंगाल		8	9	5
	<b>कुल</b>	<b>1405</b>	<b>7108</b>	<b>6015</b>	<b>3736</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

“विद्युतीकृत क्षेत्र” के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\* \*\*

**विगत 3 वर्षों के दौरान आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संवितरित अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा  
(करोड़ रुपये में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1	आंध्र प्रदेश	20	31	128	165	344
2	अरुणाचल प्रदेश	60	31	101	81	273
3	असम	115	338	598	401	1,452
4	बिहार	1,490	710	1,292	763	4,255
5	छत्तीसगढ़	94	279	126	552	1,051
6	गुजरात	12	58	110	143	324
7	हरियाणा	(14)	-	-	45	31
8	हिमाचल प्रदेश		28	-	-	28
9	जम्मू एवं कश्मीर		-	-	65	65
10	झारखंड	9	-	327	862	1,198
11	कर्नाटक	26	44	145	204	419
12	केरल	15	-	134	87	236
13	मध्य प्रदेश	359	439	421	598	1,816
14	महाराष्ट्र		43	257	143	443
15	मणिपुर	88	7	36	33	164
16	मेघालय		-	26	58	83
17	मिजोरम		19	14	42	75
18	नागालैंड		48	21	24	93
19	ओडिशा	16	514	1,079	366	1,975
20	पंजाब		-	-	15	15
21	राजस्थान		253	349	782	1,383
22	सिक्किम		-	-	18	18
23	तमिलनाडु		77	110	2	189
24	तेलंगाना	3	5	27	60	96
25	त्रिपुरा	48	49	78	62	237
26	उत्तर प्रदेश	1,121	1,249	2,262	3,149	7,781
27	उत्तराखंड	1	71	16	33	122
28	पश्चिम बंगाल	145	305	273	241	964
29	पुडुचेरी	-	-	1	-	1
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	1	1
<b>सकल योग</b>		<b>3608</b>	<b>4599</b>	<b>7932</b>	<b>8995</b>	<b>25135</b>

\*\*\*\*\*

“विद्युतीकृत क्षेत्र” के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वित्तीय वर्ष 2017-18 (11.10.2017 को शुरुआत से) के दौरान सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संवितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	असम	42
2	बिहार	115
3	छत्तीसगढ़	43
4	जम्मू एवं कश्मीर	2
5	झारखंड	70
6	केरल	15
7	मध्य प्रदेश	260
8	महाराष्ट्र	15
9	मणिपुर	6
10	नागालैंड	5
11	ओडिशा	76
12	उत्तर प्रदेश	864
13	उत्तराखंड	13
14	पश्चिम बंगाल	14
	<b>कुल</b>	<b>1,541</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-231

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

\*231. श्री रोड़मल नागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास इस बारे में कोई आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में बसावट वाले सभी जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2531

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

विकास नीति ऋण हेतु समझौता

2531. श्री रामदास सी. तडसः  
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः  
श्री नारणभाई काछड़ियाः  
श्री विद्युत वरण महतोः  
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान राज्य में '24x7 पावर फॉर ऑल' कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हेतु 250 मिलियन डॉलर विकास नीति ऋण (डीपीएल) पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौते का मूल प्रारूप क्या है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार, विश्व बैंक और अन्य राज्यों ने '24x7 पावर फॉर ऑल' कार्यक्रम के अंतर्गत किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : "सेकंड प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन डेवलपमेंट पॉलिसी लोन फॉर राजस्थान" नामक परियोजना के निष्पादन के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के ऋण समझौते पर भारत सरकार और विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) के बीच 28.08.2018 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को प्रभाव में आयी जिसकी समाप्ति की तारीख 30 सितंबर, 2019 है। समझौते की प्रतियां नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध हैं:

- (i) <http://documents.worldbank.org/curated/en/956441536850414389/pdf/ITKWB532331-201808131051.pdf> और
- (ii) <http://documents.worldbank.org/curated/en/285381536850181367/pdf/ITKWB532331-201808131047.pdf>

(ग) और (घ) : आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों ने भी क्रमशः दिनांक 22 जून, 2017 एवं 20 नवंबर, 2018 को 240 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के लिए "आंध्र प्रदेश सभी को 24X7 विद्युत" और 310 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के लिए "झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना" शीर्षक से ऐसे ही ऋण समझौते किए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2539

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

संयंत्र भार क्षमता

**2539. श्री रवनीत सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल में देश का औसत संयंत्र भार क्षमता 65% से कम था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा हमारे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) देश में कम से कम 95% या अधिक संयंत्र भार क्षमता वाले कितने विद्युत संयंत्र हैं;
- (घ) क्या क्षमता के कम उपयोग का एक कारण यह है कि राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों संविदात्मक विवादों में फंसी हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो इन विवादों में कितनी राशि फंसी है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर तक) के दौरान कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का अखिल भारतीय औसत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 61.1% है। इस पीएलएफ का कारण, अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी में वृद्धि, मेरिट ऑर्डर में विद्युत संयंत्रों की नॉन शेड्यूलिंग आदि होता है।

**(ख) :** कोयला आधारित संयंत्रों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कि सुपरक्रिटिकल यूनिटों, अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल यूनिटों एवं उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी (ए-यूएससी) के उपयोग को बढ़ावा देना।
- (ii) पुरानी विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- (iii) अदक्ष एवं पुरानी ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों को बंद करना।
- (iv) नेशनल मिशन ऑन इन्हेंसड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईईई) के अंतर्गत निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) की शुरुआत द्वारा मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।

**(ग) :** चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान केवल कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन ही 95% से अधिक अर्थात् 96.43% की संयंत्र भार क्षमता पर प्रचालित किया गया।

**(घ) और (ङ) :** कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के औसत उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 61.1% था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 58.8% के पीएलएफ से अधिक था। इससे चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान लगभग 6.6% की विद्युत मांग को पूरा करने में सहायता मिली। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राज्य क स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों में संविदात्मक विवादों, यदि कोई भी है, ने देश में विद्युत के उपयोग को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि ग्रिड में पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता के कारण, अन्य विद्युत संयंत्रों से विद्युत की आपूर्ति की जा सकती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2560  
जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

पावर ट्रेडिंग

2560. श्री वी. एलुमलाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में स्पॉट पावर ट्रेडिंग में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सभी ऊर्जा खरीद समझौतों को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है;  
और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) में विद्युत व्यापार की मात्रा विद्युत बाजार में मांग-आपूर्ति परिदृश्य के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कारोबार की गई मात्रा का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

2018 के दौरान, आईईएक्स में व्यापार की मात्रा जनवरी, 2018 के दौरान लगभग 3375 मिलियन यूनिट (एमयू) से बढ़ कर अक्टूबर, 2018 के दौरान 6505 एमयू हो गई है।

(ग) और (घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2560 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कारोबार की गई विद्युत की मात्रा

कारोबार की गई मात्रा मिलियन यूनिट में	
जनवरी, 2018	3375
फरवरी, 2018	3326
मार्च, 2018	3955
अप्रैल, 2018	4055
मई, 2018	4916
जून, 2018	4965
जुलाई, 2018	4028
अगस्त, 2018	3975
सितंबर, 2018	5725
अक्टूबर, 2018	6505

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2566

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना

2566. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौभाग्य योजना के तहत सितंबर, 2018 तक प्राप्त लक्ष्य के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य ने 100% घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य के अंतर्गत सितंबर, 2018 तक कुल घरों के 92.4 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : 18 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने सूचित किया है कि 17.12.2018 की स्थिति के अनुसार उन्होंने 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण कर दिया है।

(ग) : सौभाग्य योजना के जरिए भारत सरकार का 31 मार्च, 2019 तक शेष गैर-विद्युतीकृत सभी घरों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) की सीमा तक राज्यों को अनुदान के रूप में निधियां देती है। 31 दिसम्बर, 2018 तक सभी इच्छुक घरों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लक्ष्य को हासिल करने के अध्यक्षीन 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अतिरिक्त अनुदान भी उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2566 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**सौभाग्य : राज्य-वार विद्युतीकृत घरों का विवरण**

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत घर (%)
1	आंध्र प्रदेश	100.0%
2	अरुणाचल प्रदेश	75.8%
3	असम	78.5%
4	बिहार	94.9%
5	छत्तीसगढ़	98.1%
6	गोवा	100.0%
7	गुजरात	100.0%
8	हरियाणा	99.6%
9	हिमाचल प्रदेश	99.4%
10	जम्मू व कश्मीर	88.0%
11	झारखंड	87.6%
12	कर्नाटक	96.4%
13	केरल	100.0%
14	मध्य प्रदेश	99.5%
15	महाराष्ट्र	99.5%
16	मणिपुर	84.8%
17	मेघालय	69.2%
18	मिजोरम	92.9%
19	नागालैंड	77.6%
20	ओडिशा	88.8%
21	पुडुचेरी	100.0%
22	पंजाब	100.0%
23	राजस्थान	93.4%
24	सिक्किम	92.7%
25	तमिलनाडु	100.0%
26	तेलंगाना	96.2%
27	त्रिपुरा	87.9%
28	उत्तर प्रदेश	71.4%
29	उत्तराखंड	95.2%
30	पश्चिम बंगाल	98.0%
	<b>कुल</b>	<b>92.4%</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2568

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संरक्षण

2568. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने दैनिक घरेलू और सार्वजनिक प्रयोग में विद्युत संरक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने विद्युत सामान की ऊर्जा दक्षता के मानकों को विनियमित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार की विद्युत के दक्ष प्रयोग और संरक्षण के बदले नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु कोई कार्यक्रम/योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने दिन प्रतिदिन के घरेलू तथा सार्वजनिक उपयोग में विद्युत के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) माननीय प्रधान मंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें 2 घटक (i) सस्ती कीमतों पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने हेतु सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला), तथा (ii) परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शामिल हैं। आज की तारीख तक एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है, ने देश में 31.75 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं और 76 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

- (ii) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सरकारी भवन ऊर्जा दक्ष हो जाए, अगस्त, 2017 में सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए हैं। आज की तारीख तक ईईएसएल रेलवे स्टेशनों सहित 10088 भवनों में भवन ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं पूरी कर चुका है।
- (iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने मानक एवं लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम की शुरुआत की है जो इसके अनिवार्य तंत्र के अंतर्गत शामिल 10 इलेक्ट्रिक सामानों तथा इसके स्वैच्छित तंत्र के अंतर्गत शामिल 12 इलेक्ट्रिक सामानों की ऊर्जा दक्षता संबंधी न्यूनतम मानक प्रतिभाषित करता है। ऊर्जा दक्षता संबंधी मानकों का समय-समय पर उन्नयन किया जाता है।
- (iv) स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीईई ने विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के इष्टतम स्तर पर एयर कंडीशनिंग की ट्रेम्पचर सेटिंग की सिफारिश करते हुए स्वैच्छिक दिशानिर्देश तैयार किए हैं। बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालय परिसरों तथा बड़े संस्थानों में कार्यान्वयन हेतु इन दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई है।

(ख) : जी, हां। बीईई के मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम में उपकरणों की स्टार रेटिंग द्वारा ऊर्जा बचत के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प उपलब्ध कराता है। ये उपकरण एक स्टार से पांच स्टार के होते हैं जहां पांच स्टार सबसे अधिक दक्ष हैं। इस पहल से मध्यम और दीर्घ काल में ऊर्जा बचतों को प्रभावित करने की आशा है। वर्तमान में, 22 उपकरण एसएंडएल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं जिनमें नीचे दिए अनुसार 10 अनिवार्य श्रेणी में हैं और 12 स्वैच्छिक श्रेणी में हैं:-

अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरण	स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरण
1. फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर	1. इंडक्शन मोटर
2. ट्यूबलर फ्लूरोसेंट लैम्प	2. कृषि पम्प सेट
3. रूम एयर कंडीशनर	3. एलपीजी स्टोव
4. रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग, कॉर्नर एसी)	4. कम्प्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)
5. कलर टेलीविजन	5. कार्यालय उपकरण (प्रिंटर, कॉपियर और स्कैनर)
6. डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर	6. सीलिंग फैन
7. इनवर्टर एसी	7. कृषि के लिए डीजल इंजन ड्राइवेन मोनोसेट पम्प
8. एलईडी लैम्प	8. सॉलिड स्टेट इनवर्टर
9. डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर	9. जेनरेटर
10. इलेक्ट्रिक वाटर हीटर	10. ब्लास्ट (इलेक्ट्रॉनिक/मैग्नेटिक)
	11. वाशिंग मशीन
	12. चिलर

(ग) : विद्युत के संरक्षण और दक्ष प्रयोग के बदले में नागरिकों को लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के कोई विशेष कार्यक्रम/योजनाएं नहीं हैं। तथापि, नागरिकों को ऊर्जा दक्षता/ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करने से घटे हुए विद्युत बिलों के रूप में लाभ मिलता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2574

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन

2574. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी की स्थापित क्षमता 53651 मेगावाट है और यह देश की कुल स्थापित क्षमता के 16 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 23 प्रतिशत योगदान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एनटीपीसी समूह के पास 21 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 11 सौर पीवी, 1 हाइड्रो, 1 छोटी हाइड्रो, 1 पवन और 9 सहायक/संयुक्त उद्यम विद्युत स्टेशन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : एनटीपीसी जिसमें इसके संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां शामिल हैं, की वर्तमान संस्थापित क्षमता 53,166 मेगावाट है। देश की कुल संस्थापित क्षमता के 16 प्रतिशत हिस्से के साथ 2017-18 के दौरान भारत में उत्पादित कुल विद्युत में एनटीपीसी ने 22 प्रतिशत योगदान दिया। एनटीपीसी समूह में 42 एनटीपीसी स्टेशन (21 कोयला आधारित, 7 कम्बाइंड साइकिल/द्रवीकृत ईंधन आधारित, 1 जल विद्युत, 11 सौर ऊर्जा, 1 पवन तथा 1 लघु जल विद्युत) तथा संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के 9 स्टेशन (8 कोयला आधारित तथा 1 गैस आधारित) शामिल हैं। इनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2574 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एनटीपीसी की संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	स्टेशन	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
<b>I. एनटीपीसी की अपनी क्षमता</b>			
<b>कोयला आधारित स्टेशन</b>			
1	सिम्हाद्री I व II	आंध्र प्रदेश	2000
2	बोंगईगांव	असम	500
3	कहलगांव I व II	बिहार	2340
4	बाढ़-II	बिहार	1320
5	बरौनी	बिहार	220
6	सीपत I व II	छत्तीसगढ़	2980
7	कोरबा I, II व III	छत्तीसगढ़	2600
8	लारा	छत्तीसगढ़	800
9	कुडगी	कर्नाटक	2400
10	मौदा-I व II	महाराष्ट्र	2320
11	शोलापुर-I	महाराष्ट्र	660
12	विंध्याचल-I, II, III, IV व V	मध्य प्रदेश	4760
13	तलचर I व II	ओडिशा	3000
14	तलचर टीपीएस	ओडिशा	460
15	रामगुंडम I, II, व III	तेलंगाना	2600
16	रिहंद I, II व III	उत्तर प्रदेश	3000
17	सिंगरौली I व II	उत्तर प्रदेश	2000
18	दादरी I व II	उत्तर प्रदेश	1820
19	ऊंचाहार I, II, III व IV	उत्तर प्रदेश	1550
20	टांडा	उत्तर प्रदेश	440
21	फरक्का I, II व III	पश्चिम बंगाल	2100
<b>कुल (कोयला)</b>			<b>39,870</b>
<b>कम्बाइंड साइकल गैस/द्रवीकृत ईंधन आधारित स्टेशन</b>			
1	झानौर-गांधार-I	गुजरात	657
2	कवास-I	गुजरात	656
3	फरीदाबाद	हरियाणा	432
4	कायमकुलम-I	केरल	360
5	अंता-I	राजस्थान	419
6	दादरी	उत्तर प्रदेश	830
7	औरैया-I	उत्तर प्रदेश	663
<b>कुल (गैस/द्रवीकृत ईंधन)</b>			<b>4,017</b>
<b>जल विद्युत आधारित स्टेशन</b>			
1	कोलडैम	हिमाचल प्रदेश	800
<b>कुल (जल विद्युत)</b>			<b>800</b>
<b>नवीकरणीय ऊर्जा आधारित स्टेशन</b>			
1	अंडमान व निकोबार सौर	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5
2	अनंतपुरमु सौर	आंध्र प्रदेश	250

क्र.सं.	स्टेशन	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
3	रोजमल पवन	गुजरात	50
4	फरीदाबाद सौर	हरियाणा	5
5	राजगढ़	मध्य प्रदेश	50
6	मंदसौर सौर	मध्य प्रदेश	250
7	तलचर सौर	ओडिशा	10
8	भादला सौर	राजस्थान	260
9	रामगुंडम सौर	तेलंगाना	10
10	दादरी सौर	उत्तर प्रदेश	5
11	ऊंचाहार सौर	उत्तर प्रदेश	10
12	सिंगरौली सौर	उत्तर प्रदेश	15
13	सिंगरौली लघु जल विद्युत	उत्तर प्रदेश	8
<b>कुल (नवीकरणीय ऊर्जा)</b>			<b>928</b>
<b>एनटीपीसी की अपनी क्षमता</b>			<b>45,615</b>
<b>II. संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के अधीन विद्युत परियोजनाएं</b>			
<b>कोयला आधारित स्टेशन</b>			
<b>(क) सहायक कंपनियां</b>			
1	मुजफ्फरपुर-केबीयूएनएल	बिहार	610
2	नबीनगर-बीआरबीसीएल	बिहार	500
<b>(ख) संयुक्त उद्यम</b>			
1	भिलाई-एनएसपीसीएल	छत्तीसगढ़	574
2	झज्जर-एपीसीपीएल	हरियाणा	1500
3	राउरकेला-एनएसपीसीएल	ओडिशा	120
4	वल्लूर-1-एनटीईसीएल	तमिलनाडु	1500
5	मेजा-एमयूएनपीएल	उत्तर प्रदेश	660
6	दुर्गापुर-एनएसपीसीएल	पश्चिम बंगाल	120
<b>कुल (कोयला)</b>			<b>5,584</b>
<b>कम्बाइंड साइकल गैस/द्रवीकृत ईंधन आधारित स्टेशन</b>			
1	आरजीपीपीएल	महाराष्ट्र	1967
<b>कुल (गैस/द्रवीकृत ईंधन)</b>			<b>1,967</b>
<b>कुल (संयुक्त उद्यम+सहायक कंपनी)</b>			<b>7,551</b>
<b>सकल योग (I+II)</b>			<b>53,166</b>

केबीयूएनएल :	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
बीआरबीसीएल :	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
एनएसपीसीएल :	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एपीसीपीएल :	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एनटीईसीएल :	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
एमयूएनपीएल :	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
आरजीपीपीएल :	रतनगिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2584

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

प्रति-राजसहायता प्रभार

2584. श्री एम. चन्द्राकाशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं से प्रति-राजसहायता प्रभारित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का बड़े विद्युत उपभोक्ताओं पर प्रभारित की जाने वाली प्रति-राजसहायता का समाधान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश में प्रति-राजसहायता प्रणाली को समाप्त करने के लिए दीर्घावधि योजनाओं, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : उपभोक्ता विद्युत टैरिफ में क्रॉस सब्सिडी एक ऐसा तंत्र है जहाँ उपभोक्ताओं के एक वर्ग के लिए टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत से अधिक होती है और वे उपभोक्ताओं के ऐसे वर्ग को क्रॉस सब्सिडी देते हैं जिनकी टैरिफ आपूर्ति की लागत से कम होती है। इस प्रकार, रिटेल विद्युत टैरिफ में ऐसा कोई अलग क्रॉस सब्सिडी प्रभार नहीं होता है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति, 2016 में यह प्रावधान है कि टैरिफ विद्युत आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर रूप से प्रदर्शित करे, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रॉस सब्सिडी आपूर्ति की औसत लागत के  $\pm 20\%$  के भीतर लाया जाना चाहिए। संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार रिटेल टैरिफ में क्रॉस सब्सिडियों का स्तर राज्य दर राज्य में भिन्न-भिन्न होता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\* \*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2587

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

नई गांदरबल पनबिजली परियोजना

2587. डॉ. फारूख अब्दुल्ला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 93 एमवी नई गांदरबल पनबिजली परियोजना का कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके एचसीसी को आबंटन के बावजूद भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : मैसर्स जेकेएसपीडीसी लिमिटेड (जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा जम्मू और कश्मीर में नई गंदरबाल जल विद्युत परियोजना (93 मेगावाट) का मूल्यांकन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.06.2014 के पत्र के तहत किया गया था। भूमि अधिग्रहण सहित परियोजना का निर्माण-पूर्व कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : ईपीसी आधार पर प्रमुख परियोजना कार्य के निर्माण के लिए आमंत्रित निविदाओं में मैसर्स एचसीसी लिमिटेड (हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) एल-1 बोलीदाता थी। मैसर्स एचसीसी लिमिटेड के लिए 08.08.2017 को अवार्ड की अधिसूचना जारी की गई थी। तथापि, मैसर्स एचसीसी लिमिटेड जेकेएसपीडीसी से नोटिसों के बावजूद संविदा हस्ताक्षरित करने की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सका। जेकेएसपीडीसी ने अब उनकी बोली जमानत राशि जब्त कर ली है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\* \*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2588

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

पीएफसी के साथ आरईसी के विलय का प्रभाव

2588. श्री एल.आर. शिवराम गौड़ा:

श्रीमती अंजू बाला:

श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के साथ विलय करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह पीएफसी के नकद आरक्षित के क्षरण और अधिग्रहण के वित्तपोषण हेतु लिए गए ऋण से इसके ऋण में वृद्धि के कारण इसके वित्तीय प्रोफाइल को कमजोर कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र की वित्त कंपनियां, जो विद्युत क्षेत्र के संकट के कारण जूझ रही हैं, के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) में अपनी 52.63% हिस्सेदारी को पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड को अपेक्षित बिक्री के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया है। ऐसा करने से उन्हें विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में समेकन प्राप्त करने, बेहतर तालमेल लाने, किफायत पैमाना सृजित करने, ऊर्जा पहुँच में समर्थन करने एवं ऊर्जा दक्षता की क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी और विद्युत वित्त पोषण की लागत में भी कमी आएगी। अपने पूंजी स्तरों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानियों की परिकल्पना की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2591

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

स्पाॅट पावर टैरिफ

2591. श्रीमती के. मरगथम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत अनेक महीनों के दौरान स्पाॅट पावर टैरिफ अत्यधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका एक कारण अधिक मांग और कम आपूर्ति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मूल्य, जिसे मार्केट क्लीयरिंग प्राइस (एमसीपी) के नाम से जाना जाता है, का दिन के प्रत्येक 15 मिनट के 96 टाइम ब्लॉकों के लिए अधिसूचित विपणन तंत्र के अनुसार पावर एक्सचेंजों में पता लगाया जाता है। प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए एमसीपी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है। देश में पावर एक्सचेंजों में मासिक औसत एमसीपी 3.14 रुपये प्रति यूनिट से 6.5 रुपये प्रति यूनिट तक की रेंज में रहा है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में अप्रैल से नवंबर, 2018 तक का माह-वार औसत एमसीपी **अनुबंध-I** में दिया गया है। अप्रैल, 2018 से नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान पावर एक्सचेंज में खरीद एवं बिक्री की मात्रा **अनुबंध-II** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2591 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आईईएक्स और पीएक्सआईएल में अप्रैल से नवंबर, 2018 तक का माह-वार औसत एमसीपी

महीना	एमसीपी (रु./यूनिट)	
	आईईएक्स	पीएक्सआईएल
अप्रैल, 18	3.97	3.5
मई, 18	4.6	*
जून, 18	3.73	3.61
जुलाई, 18	3.46	3.46
अगस्त, 18	3.34	3.14
सितंबर, 18	4.69	4.05
अक्तूबर, 18	5.9	6.5
नवंबर, 18	3.58	3.74
<b>औसत</b>	<b>4.17</b>	<b>3.47</b>

\*मई, 2018 के महीने में कोई खरीद एवं बिक्री नहीं की गई।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2591 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अप्रैल, 2018 से नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान पावर एक्सचेंज में खरीद एवं बिक्री की मात्रा

महीना	आईईएक्स			पीएक्सआईएल		
	कुल खरीद बोलियां (एमयू में)	कुल बिक्री बोलियां (एमयू में)	मार्केट क्लीयरिंग वॉल्यूम (एमयू में)	कुल खरीद बोलियां (एमयू में)	कुल बिक्री बोलियां (एमयू में)	मार्केट क्लीयरिंग वॉल्यूम (एमयू में)
अप्रैल-18	5100.84	5506.03	4055.25	6.60	60.72	5.80
मई-18	6441.02	6123.28	4915.98	0.76	41.88	0.00
जून-18	5961.80	7918.14	4965.17	16.43	69.73	15.39
जुलाई-18	4981.17	7337.04	4027.79	30.67	73.13	26.45
अगस्त-18	4899.16	7336.80	4019.36	12.72	51.17	4.94
सितंबर-18	7408.03	7688.27	5725.49	40.99	47.70	15.76
अक्टूबर-18	8543.29	8141.12	6505.17	7.36	40.49	4.80
नवंबर-18	4610.51	6937.06	3403.89	7.03	12.17	2.58

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2604

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

नए विद्युत संयंत्रों को स्वीकृति

2604. प्रो. सौगत राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नए विद्युत संयंत्रों के निर्माण की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विद्युत संयंत्रों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति एक बड़ी बाधा है; और

(ग) यदि हां, तो देश में पर्यावरणीय स्वीकृतियां न मिलने के कारण लंबित/विलंब हुई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्तमान में, देश में कुल 81,409.65 मेगावाट की 105 थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्र निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ख) : पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) में विनियामक प्राधिकरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और अंतिम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, जिनमें जन सुनवाई रिपोर्ट शामिल है, की प्राप्ति की तिथि से एक सौ पांच दिनों के भीतर आवेदक को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने/अस्वीकृत करने के अपने निर्णय से अवगत कराएगा।

(ग) : आज की तिथि के अनुसार दो परियोजनाएं ईआईए अधिसूचना, 2006 और उसमें संशोधन के अनुसार 105 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के बाद भी पर्यावरण स्वीकृति मिलने के लिए एमओईएफएंडसीसी में लंबित हैं। ऐसी विलंबित परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2604 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-3	250
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
3	बिहार	नबीनगर टीपीपी	यू-3	250
			यू-4	250
4	बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
5	छत्तीसगढ़	लारा टीपीएस	यू-2	800
6	झारखण्ड	नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
7	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-2	660
8	मध्य प्रदेश	गदरवारा एसटीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
9	मध्य प्रदेश	खरगोन टीपीएस	यू-1	660
			यू-2	660
10	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
11	राजस्थान	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें.	यू-1	250
12	राजस्थान	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250
13	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800
			यू-2	800
14	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-1	500
			यू-2	500
15	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-2	660
16	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
17	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी स्टे.-II	यू-1	660
			यू-2	660
18	झारखंड	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
			यू-3	800
<b>राज्य क्षेत्र</b>				
19	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800

20	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800
21	असम	नामरूप सीसीजीटी	एसटी	36.15
22	गुजरात	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	800
23	कर्नाटक	येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370
24	महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	यू-6	660
25	मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीपी स्टे.-II	यू-4	660
26	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	यू-3	660
			यू-4	660
27	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	यू-6	660
28	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-7	660
			यू-8	660
29	तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VII	यू-1	800
30	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
31	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	यू-1	660
32	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
33	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800
34	तमिलनाडु	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660
			यू-2	660
35	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
36	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660
37	तेलंगाना	यादादरी टीपीएस	यू-1	800
			यू-2	800
			यू-3	800
			यू-4	800
			यू-5	800
38	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
39	उत्तर प्रदेश	पंकी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	660
40	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
<b>निजी क्षेत्र</b>				
41	आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660
			यू-2	660
42	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350
			यू-4	350
43	बिहार	सिरिया टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
			यू-4	660
44	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-4	600
			यू-5	600
			यू-6	600
45	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300
			यू-4	300

46	छत्तीसगढ़	लेंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660
			यू-4	660
47	छत्तीसगढ़	सिंगहीतराई टीपीपी	यू-1	600
			यू-2	600
48	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	यू-4	360
49	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135
50	छत्तीसगढ़	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600
51	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270
			यू-2	270
52	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270
			यू-4	270
53	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600
			यू-2	600
54	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600
55	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
56	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
57	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
58	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300
			यू-2	300
59	महाराष्ट्र	शीरपुर टीपीपी	यू-2	150
60	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	यू-1	660
61	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	यू-2	45
62	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350
63	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350
			यू-2	350
			यू-3	350
64	ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
65	ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525
			यू-2	525
66	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660
67	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525
68	पश्चिम बंगाल	हिरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया) टीपीपी	यू-3	150

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2604 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**देश में निर्माणाधीन जल विद्युत संयंत्रों की सूची  
(25 मेगावाट से अधिक)**

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	क्षमता (मेगावाट)
<b>आंध्र प्रदेश</b>				
1	पोलावरम	राज्य	12x80	960
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>				
2	कामेंग	केंद्रीय	4x150	600
3	सुबानसिरी लोअर	केंद्रीय	8x250	2000
4	गोंगरी###	निजी	2x72	144
<b>हिमाचल प्रदेश</b>				
5	पारबती स्टे.-II	केंद्रीय	4x200	800
6	उहल-III	राज्य	3x33.33	100
7	स्वारा कुड्डू	राज्य	3x37	111
8	शोंगटोंग करछम	राज्य	3x150	450
9	बजोली होली	निजी	3x60	180
10	सोरांग	निजी	2x50	100
11	टंगनु रोमई	निजी	2x22	44
12	टिडोंग-I	निजी	100.00	100
<b>जम्मू व कश्मीर</b>				
13	पकल दुल	केंद्रीय	4x250	1000
14	परनई	राज्य	3x12.5	38
15	लोअर कलनई	राज्य	2x24	48
16	रत्ले#	निजी	4x205 + 1x30	850
<b>केरल</b>				
17	पल्लीवसल	राज्य	2x30	60
18	थोटियार	राज्य	1x30+1x10	40
<b>मध्य प्रदेश</b>				
19	महेश्वर###	निजी	10x40	400
<b>महाराष्ट्र</b>				
20	कोयना लेफ्ट बैंक	राज्य	2x40	80
<b>पंजाब</b>				
21	शाहपुरकंडी	राज्य	3x33+3x33+1x8	206
<b>सिक्किम</b>				
22	भास्मे	निजी	3x17	51
23	रंगित-IV	निजी	3x40	120
24	रंगित-II	निजी	2x33	66
25	रोंगनीचू	निजी	2x48	96
26	तीस्ता स्टे.-VI	निजी	4x125	500
27	पनन	निजी	4x75	300
<b>तमिलनाडु</b>				
28	कुडहा पम्पड स्टोरेज	राज्य	1x125	125

उत्तराखण्ड				
29	लता तपोवन	केंद्रीय	3x57	171
30	तपोवन विष्णुगाड	केंद्रीय	4x130	520
31	टिहरी पीएसएस	केंद्रीय	4x250	1000
32	विष्णुगाड पीपलकोटि	केंद्रीय	4x111	444
33	नैटवर मोरी	केंद्रीय	2x30	60
34	व्यासी	राज्य	2x60	120
35	फाटा ब्युंग	निजी	2x38	76
36	सिंगोली भटवारी	निजी	3x33	99
पश्चिम बंगाल				
37	रम्माम-III	केंद्रीय	3x40	120
# जम्मू व कश्मीर सरकार, पीडीडी ने 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना का अधिग्रहण करने के लिए निर्देश दिए हैं।				
## प्रमुख ऋणदाता के रूप में पीएफसी ने 01 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में अधिक साम्या अर्थात 51 प्रतिशत अधिग्रहीत कर ली है। मामला न्यायाधीन है।				
### राज्य सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए विकासकर्ता के साथ करार समाप्त कर दिया है।				

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2604 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पर्यावरणीय स्वीकृति के विभिन्न चरणों में ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का ब्यौरा	आवेदन की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	मैसर्स डीसीएम श्रीराम लि. द्वारा तहसील - लाड़पुरा, जिला - कोटा, राजस्थान में विद्युत संयंत्र में आधुनिकीकरण और विस्तार 125.3 मेगावाट से 141 मेगावाट	12.6.2018	प्रस्ताव का ईएसी द्वारा दिनांक 27.06.2018 और 25.07.2018 को अपनी बैठकों में मूल्यांकन कर दिया गया। ईएसी ने दिनांक 25.07.2018 को हुई अपनी बैठक में पर्यावरणीय स्वीकृति देने की सिफारिश की। फाइल विनियामक प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई है।
2	पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे में मैसर्स भोपाल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रा. लि. द्वारा गांव आदमपुर छावनी, ब्लॉक फांडा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में 23 मेगावाट का नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित प्रस्तावित विद्युत संयंत्र	10.8.2018	प्रस्ताव का ईएसी द्वारा दिनांक 30.08.2018 और 30.11.2018 को अपनी बैठकों में मूल्यांकन कर दिया गया। ईएसी ने पर्यावरणीय स्वीकृति देने की सिफारिश की। फाइल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\* \*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2606

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत तक पहुंच

2606. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में 300 मिलियन से अधिक लोगों की विद्युत ग्रिड तक पहुंच नहीं है और वे पूर्ण रूप से अंधेरे में रह रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या वे लोग केरोसिन वाली लालटेन का उपयोग कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और इससे आग लगने के कारण अक्सर जान और माल की भारी हानि होती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में सभी को विद्युत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत की पहुँच से लोगों के जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस पक्ष को ध्यान में रखते भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-“सौभाग्य” शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 21.73 करोड़ घर हैं, इनमें से 20.79 करोड़ घर दिनांक 30 नवंबर, 2018 तक विद्युतीकृत किए जा चुके थे। सौभाग्य के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक घर को विद्युत पहुँचाने के लिए राज्यों को 60% की सीमा तक (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85%) निधियां अनुदान के रूप में देती है। 15% का अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) भी दिनांक 31 दिसंबर, 2018 तक सभी इच्छुक घरों के 100% घरों को विद्युतीकरण हासिल किए जाने पर, उपलब्ध है।

(ग) : भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत प्रदान करने के लिए “सभी के लिए 24X7 विद्युत” दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-“सौभाग्य” और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2607

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क

2607. डॉ. के. गोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि 30 सितंबर, 2018 को स्पॉट बाजार में विद्युत प्रशुल्क इस दशक के सबसे उच्च स्तर 17.61 रुपए प्रति इकाई तक पहुंच गई थी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या वर्ष की इस अवधि के दौरान पवन ऊर्जा अचानक घट जाती है और जल विद्युत में भी कमी आने लगती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत एक्सचेंजों में मार्केट क्लीयरिंग प्राइस (एमसीपी) का पता दिन के प्रत्येक 15 मिनट के 96 टाइम ब्लॉकों के लिए अधिसूचित विपणन तंत्र के अनुसार लगाया जाता है। प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए एमसीपी मांग एवं आपूर्ति साइड बिड पर निर्भर करता है। दिनांक 30 सितंबर, 2018 को दिन के लिए अधिकतम मार्केट क्लीयरिंग प्राइस (एमसीपी) 9.5 रुपये प्रति यूनिट था। दिनांक 30 सितंबर, 2018 को औसत मार्केट क्लीयरिंग प्राइस (एमसीपी) 4.2 रुपये प्रति यूनिट था। चालू वर्ष 2018-19 में अप्रैल से नवंबर माह का औसत एमसीपी अनुबंध-I में दिया गया है। दिनांक 30 सितंबर, 2018 के लिए 15 मिनट का टाइम ब्लॉक-वार मार्केट क्लीयरिंग प्राइस (एमसीपी) अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। जल विद्युत एवं पवन ऊर्जा का उत्पादन वर्ष की दूसरी तिमाही में सामान्यतः अधिकतम होता है और उसके बाद अचानक कम हो जाता है। जल विद्युत एवं पवन ऊर्जा का माह-वार उत्पादन अनुबंध-III में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष 2018-19 के दौरान भी, पवन ऊर्जा उत्पादन अगस्त, 2018 में 10565 मिलियन यूनिट (एमयू) से अचानक घटकर अक्टूबर, 2018 में 2126 मिलियन यूनिट हो गया। इसी प्रकार से, उक्त अवधि के दौरान जल विद्युत उत्पादन भी अगस्त, 2018 में 19545 एमयू से घटकर अक्टूबर, 2018 के दौरान 12940 एमयू और नवंबर, 2018 में और घटकर 8369 एमयू हो गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2607 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आईईएक्स में अप्रैल से नवंबर, 2018 तक का माह-वार औसत एमसीपी

महीना	2018
	एमसीपी (रु./यूनिट)
अप्रैल	3.97
मई	4.64
जून	3.73
जुलाई	3.46
अगस्त	3.34
सितंबर	4.69
अक्तूबर	5.93
नवंबर	3.58
<b>औसत</b>	<b>4.17</b>

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2607 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आईईएक्स में 30 सितंबर, 2018 तक का प्रत्येक 15 मिनट के टाइम ब्लॉकों के लिए एमसीपी

टाइम ब्लॉक	एमसीपी	टाइम ब्लॉक	एमसीपी	टाइम ब्लॉक	एमसीपी	टाइम ब्लॉक	एमसीपी
1	6599.83	25	3900.53	49	2905.44	73	4157.63
2	8827.74	26	3879.84	50	2956.46	74	4989.03
3	8825.18	27	4052.48	51	2960.92	75	4950
4	7510.35	28	4000.53	52	2856.11	76	7510.09
5	5000.53	29	3965	53	2873.7	77	9500.02
6	5000.52	30	4000.65	54	2889.88	78	7510.91
7	4774.9	31	3962.5	55	2960.99	79	6599.63
8	4774.86	32	3962.07	56	2976.43	80	6599.07
9	4092.02	33	3859.32	57	3060.21	81	5000.13
10	4092.16	34	3548.56	58	3140.12	82	4989.44
11	3978.5	35	3500.99	59	3400.74	83	4774.24
12	4089.62	36	3499.76	60	3499.34	84	4750.12
13	3809.01	37	3449.91	61	3548.08	85	4469.66
14	3809.84	38	3499.14	62	3600.18	86	4774.06
15	3809.08	39	3426.88	63	3741.54	87	4469.84
16	3700.69	40	3099.87	64	3909.64	88	4450.18
17	3909.42	41	3125.72	65	3973.53	89	4774
18	4000.22	42	3099.74	66	3960.85	90	4774.4
19	4157.99	43	3099.07	67	3960.5	91	4774.57
20	4774.15	44	3099.81	68	3809.38	92	4774.03
21	4774.74	45	3000.22	69	3809.6	93	4774.43
22	4157.19	46	3041.63	70	3809.75	94	4774.75
23	4157.04	47	3048.67	71	3850.53	95	4774.89
24	4000.42	48	2963.34	72	3962.68	96	4774.36

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2607 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 में माह-वार जल विद्युत और पवन ऊर्जा का उत्पादन

जल विद्युत और पवन ऊर्जा का उत्पादन				
आंकड़े मिलियन यूनिट में (एमयू)				
महीना	वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2017-18	
	जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जल विद्युत	पवन ऊर्जा
अप्रैल	7745	2964	10626	3593
मई	11047	4555	12800	5147
जून	13897	9003	14262	7455
जुलाई	16805	11046	16772	9297
अगस्त	19545	10565	17067	6708
सितंबर	17415	4695	15161	3134
अक्टूबर	12940	2126	11822	2157
नवंबर	8369*	1989*	7364	2436

\* अनंतिम

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2610

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्याएं

2610. श्री सी. महेंद्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विद्युत क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत क्षेत्र नवीकरणीय और पारेषण प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय की कमी से घिरा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसंधान हेतु आवंटित की गई धनराशि का सरकार द्वारा जीएसटी के लिए राज्यों के वित्तीय संक्रमण के लिए उपयोग किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : लगभग 5 वर्ष पहले की स्थिति की तुलना में देश में व्यस्ततम और ऊर्जा कमी में तीव्र कमी हुई है। नवंबर, 2013 के माह में क्रमशः 3.7% और 4.0% की व्यस्ततम और ऊर्जा कमियों की तुलना में नवंबर, 2018 माह में व्यस्ततम और ऊर्जा कमी क्रमशः 0.5% और 0.5% हैं। तथापि, देश में विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कुछ समस्याएं, वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति, अपर्याप्त कोयले और गैस की आपूर्ति और विनियामक चुनौतियां, विकासकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं की धीमा कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

**(ग) और (घ) :** विद्युत मंत्रालय केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) को उनकी विभिन्न अनुसंधान स्कीमों के लिए निधियां आवंटित करता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए 90.8284 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू भी सार्वजनिक उद्यम विभाग की आरएंडडी नीति के अनुसार आरएंडडी क्रियाकलापों के लिए निधियां आवंटित करते हैं। इसके अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इम्प्रिंट) और उच्चतर आविष्कार योजना (यूडीवाई) नामक दो स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

**(ङ) और (च) :** वित्त बिल 2010-11 के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अथवा इससे संबंधित किसी अन्य उद्देश्य में वित्त पोषण और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादित/आयातित कोयले पर उप-कर के लिए नेशनल क्लीन एनर्जी फण्ड (एनसीईएफ) नामक कोष का सृजन किया गया था। तत्पश्चात्, स्वच्छ पर्यावरण पहल को शामिल करने के लिए निधि के क्षेत्र का विस्तार किया गया था। तथापि, वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017, जिसे दिनांक 12.04.2017 को अधिसूचित किया गया, में यह व्यवस्था की गई है कि पान मसाला, तम्बाकू, एरेटेड वाटर इत्यादि पर कर सहित कोयला उप-कर से जीएसटी मुआवजा निधि बनाई जाएगी और जीएसटी कार्यान्वयन के कारण संभावित हानियों के लिए उन्हें मुआवजा देने के लिए पांच वर्षों के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। पांच वर्षों के पश्चात्, बची हुई राशि से केंद्र और राज्यों के बीच 50% के आधार पर बांटी जाएगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2613

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

ऊर्जा दक्षता

2613. डॉ. उदित राज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसी इकाइयों की डिफॉल्ट सेटिंग को विनियमित करने के लिए एयर कंडीशनर विनिर्माताओं को निदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : गर्मी के दौरान, यह अनुमान लगाया गया है कि आमतौर पर भवनों में एयर कंडीशनर विद्युत की अधिकतम खपत करते हैं, जिसमें वाणिज्यिक अथवा आवासीय भवनों के मामले में 50% से अधिक की खपत होती है।

कमरे का एयर कंडीशनिंग तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग 6% विद्युत की बचत होती है। सामान्यतः, एयर कंडीशनिंग तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जाता है, जबकि आदर्श/इष्टतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक एयर कंडीशनिंग तापमान में परिवर्तन करने से लगभग 24% विद्युत की बचत होगी। यह उत्सर्जन में कमी करेगा और फलस्वरूप पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, यह धन की बचत करेगा और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।

स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने एयर कंडीशनरों का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के इष्टतम स्तर पर सेट करने की सिफारिश करते हुए स्वैच्छिक दिशा-

निर्देश बनाए हैं। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 22 जून, 2018 को एयर कंडीशनर (एसी) के विनिर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एसी की डिफाल्ट तापमान सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने का सुझाव दिया गया था।

उपरोक्त स्वैच्छिक दिशा-निर्देश बड़ी वाणिज्यिक स्थापनाओं जैसे होटलों, हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालय परिसरों और बड़े संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए संस्तुत किए गए हैं।

**(ग) और (घ) :** इस संबंध में, बीईई द्वारा कोई पृथक अध्ययन नहीं किया गया है। बीईई ने आईआईटी, खड़गपुर पब्लिकेशन (112105129 वर्जन 1 एमई) संदर्भित किया है जिसमें 50 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता और 0.15 मी/सेकंड वायु संवेग पर उपयुक्त कपड़ों के साथ गर्मी के मौसम के लिए 24.5 डिग्री सेल्सियस क्रियाशील और इष्टतम तापमान की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजिरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (एएसएचआरएई) द्वारा किया गया तकनीकी विश्लेषण भी यह दर्शाता है कि स्थिर स्थिति पर वांछित आरामदायक स्तर हासिल करने के लिए तापमान आर्द्रता और एयर मूवमेंट के अपेक्षित स्तर पर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2623

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

प्रत्येक परिवार को विद्युत

2623. श्री राकेश सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्रत्येक परिवार को विद्युत प्रदान करने की योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मध्य प्रदेश में योजना का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्युत की चौबीस घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-‘सौभाग्य’ की शुरुआत के बाद दिनांक 17 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 2,24,38,133 घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण कर दिया है।

(ग) और (घ) : उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' दस्तावेज हस्ताक्षरित किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-‘सौभाग्य’ तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\* \*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2641

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी

2641. श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने जनशक्ति में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से कोई नई कार्य-योजना तैयार की है ताकि विद्युत क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी से उबरा जा सके, विद्युत बिलों में विसंगतियों में सुधार लाया जा सके और विद्युत पारेषण लाइनों में त्रुटियों को सुधारा जा सके;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या सरकार का ग्राहकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए जनशक्ति में वृद्धि करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटीयों की जनशक्ति की आवश्यकताओं का प्रबंधन राज्य सरकारों और उनकी वितरण यूटिलिटीयों द्वारा किया जाता है।

इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत, राज्यों को बेहतर उपभोक्ता सेवाओं, 59 नगरों में पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा अधिग्रहण प्रणालियां (स्काडा), बिलिंग और संग्रहण सॉफ्टवेयर, शिकायत निवारण के लिए एकल संक्षिप्त कोड टेलीफोन नंबर 1912, सरल बिलिंग के लिए उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग और 34 यूटिलिटीयों की प्रणालियों में बेहतर कार्य प्रवाह के लिए उनके लिए उद्यम संसाधन प्रयोजन (ईआरपी) सॉफ्टवेयर सहित बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए निधियां संस्वीकृत की गई हैं। इन उपायों का उद्देश्य विद्युत खराबियों को अतिशीघ्र ठीक करना, बेहतर बिलिंग एवं संग्रहण और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने राज्यों को डिस्कॉमों की ओर से विभिन्न गतिविधियों अर्थात् मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रहण सेवाओं, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करने आदि के निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समर्पित सेवा प्रदाताओं को लगाने की सलाह दी गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\* \*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2651

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन

2651. श्री रत्न लाल कटारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मार्च, 2018 में गुरुग्राम में हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन आयोजित किया गया था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सरकार की ओर से किसने भाग लिया;
- (ग) क्या उक्त सम्मेलन के दौरान हरियाणा में 21,000 करोड़ रुपये की लागत के विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई थी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय, हरियाणा सरकार के अनुसार हैपनिंग हरियाणा समिट का आयोजन मार्च, 2016 के दौरान गुरुग्राम में किया गया था।

(ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) : परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री ने 07 मार्च, 2016 को गुरुग्राम में आयोजित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट, 2016 के इनवेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्च्यूनिटीज इन सनराइज सेक्टर पर सत्र के दौरान बोलते हुए यह घोषणा की थी कि हरियाणा में 21,000 करोड़ रुपये की लागत से 1400 मेगावाट क्षमता का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में 20,594 करोड़ रुपये की संस्वीकृत पूर्णता लागत पर एक नाभिकीय विद्युत परियोजना [गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना 1 एवं 2 (जीएचएवीपी 1 एवं 2) - 2X700 मेगावाट] निर्माणाधीन है। सरकार ने जून, 2017 में फ्लोट मोड में 10 स्वदेशी रिएक्टरों के भाग के रूप में इसी स्थान पर दो और यूनिटों (जीएचएवीपी 3 एवं 4 - 2X700 मेगावाट) की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2661

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत संयंत्रों की समीक्षा

2661. श्री कृष्ण प्रताप:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऋणग्रस्त निजी विद्युत संयंत्र की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे ऋणग्रस्त निजी विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण करने तथा एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी और बैंकों की सहायता से नियंत्रक कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा 29.07.2018 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की गई है जिसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और विद्युत क्षेत्र में अधिक जोखिम रखने वाले ऋणदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की रिपोर्ट में विद्युत क्षेत्र में संकट के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं:

- कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे
- विद्युत मांग में धीमी वृद्धि
- डिस्कॉमों द्वारा विलंबित भुगतान
- इन्क्विटी और सर्विस ऋण देने के लिए प्रवर्तकों की अक्षमता
- विकासकर्ता द्वारा परियोजना का मंद कार्यान्वयन
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे
- प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत अधिक प्रशुल्क
- विनियामक एवं संविदागत विवाद
- कोयला खान नीलामी से संबंधित कानूनी मुद्दे
- भूमि अधिग्रहण में विलंब, अपर्याप्त पारिषण प्रणाली आदि जैसे अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे।

सरकार द्वारा सभी सदस्यों को रिपोर्ट परिचालित कर दी गई है। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई है।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2663

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिवारों का विद्युतीकरण

2663. श्री जार्ज बेकर:

श्री अनिल शिरोले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित संपूर्ण देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके अंतर्गत कितनी निधियाँ अनुमोदित, आबंटित और उपयोग की गई हैं;

(ग) विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत अभी तक कितने परिवार विद्युतीकृत किए गए हैं और अभी भी कितने गैर-विद्युतीकृत हैं;

(घ) क्या यह निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गैर-विद्युतीकृत परिवारों को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उपयोग की वृद्धि समान रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ दिसंबर, 2014 में 43,033 करोड़ रुपये के कुल निवेश से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की थी:

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की उचित रोस्ट्रिंग की सुविधा प्रदान करते हुए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;
- (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं तक मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) अवसंरचना का सुदृढीकरण और संवर्धन;
- (iii) ग्रामीण विद्युतीकरण।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण के शेष कार्य भी डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत समाहित किए गए थे। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न निम्नानुसार है:

- भारत सरकार अनुदान: विशेष श्रेणी राज्य-85%, अन्य राज्य 60%; राज्य अंशदान: विशेष श्रेणी राज्य 5%, अन्य राज्य 10%; ऋण: विशेष श्रेणी राज्य-10%, अन्य राज्य-30%।
- भारत सरकार का अतिरिक्त अनुदान: (i) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, (ii) ट्रेजेक्ट्री के अनुसार एटीएंडसी हानियों में कमी करने और (iii) मीटरीकृत खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी की अग्रिम जारी करने पर विशेष श्रेणी राज्य को 5%, अन्य राज्यों को 15%।

**(ख) :** डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 42,676 करोड़ रुपये राशि की नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (30.11.2018 तक) के दौरान डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक सहित पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित राज्यों को 32,823 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं और संवितरित की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन के लिए 14 राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 11,996 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है जिसकी तुलना में दिनांक 30 नवंबर, 2018 को 1,776 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

**(ग) और (घ) :** डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश भर के गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के घरों को निःशुल्क विद्युत के सर्विस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब तक दिनांक 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 3.07 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के सर्विस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरों और शहरी क्षेत्र में सभी गरीब घरों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करते हुए सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 21.73 करोड़ घर हैं; इनमें से 20.79 करोड़ घरों का 30 नवंबर, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है और दूरस्थ क्षेत्रों सहित शेष 0.94 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घरों को मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

**(ङ) :** वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान विद्युत की खपत में वृद्धि क्रमशः 8.5%, 5.55% और 5.99% थी। विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों के दौरान 47,691 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2663 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आरई परियोजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.11.2018 तक)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	593	-	-	-	593
2	अरुणाचल प्रदेश	267	-	-	-	267
3	असम	1,274	-	-	-	1,274
4	बिहार	5,856	-	-	-	5,856
5	छत्तीसगढ़	1,254	9	-	-	1,263
6	गुजरात	925	-	-	-	925
7	हरियाणा	316	-	-	-	316
8	जम्मू एवं कश्मीर	620	-	-	-	620
9	झारखंड	3,696	26	-	-	3,722
10	कर्नाटक	1,750	4	-	-	1,754
11	केरल	485	-	-	-	485
12	मध्य प्रदेश	-	20	-	-	20
13	महाराष्ट्र	2,163	12	-	-	2,175
14	मणिपुर	55	-	-	-	55
15	मेघालय	262	-	-	-	262
16	मिजोरम	30	-	-	-	30
17	नागालैंड	42	42	-	-	85
18	ओडिशा	1,655	-	-	-	1,655
19	पंजाब	252	-	-	-	252
20	राजस्थान	2,819	-	-	-	2,819
21	सिक्किम		50	-	-	50
22	तमिलनाडु	462	-	-	-	462
23	त्रिपुरा	74	-	-	-	74
24	उत्तर प्रदेश	6,633	-	-	-	6,633
25	उत्तराखंड	842	-	-	-	842
26	गोवा	20	-	-	-	20
27	दादरा व नगर हवेली	5	-	-	-	5
28	पुडुचेरी	-	20	-	-	20
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	21	-	-	21
	<b>सकल योग</b>	<b>32353</b>	<b>204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32557</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आरई परियोजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संवितरित अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	आंध्र प्रदेश	31	128	165	147	471
2	अरुणाचल प्रदेश	31	101	81	7	220
3	असम	338	598	401	107	1,444
4	बिहार	710	1,292	763	1,429	4,195
5	छत्तीसगढ़	279	126	552	64	1,021
6	गुजरात	58	110	143	166	478
7	हरियाणा	-	-	45	22	67
8	हिमाचल प्रदेश	28	-	-	-	28
9	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	65	116	181
10	झारखंड	-	327	862	892	2,081
11	कर्नाटक	44	145	204	296	689
12	केरल	-	134	87	-	221
13	मध्य प्रदेश	439	421	598	432	1,889
14	महाराष्ट्र	43	257	143	78	521
15	मणिपुर	7	36	33	25	101
16	मेघालय	-	26	58	45	128
17	मिजोरम	19	14	42	14	89
18	नागालैंड	48	21	24	11	104
19	ओडिशा	14	1,079	366	751	2,711
20	पंजाब	-	-	15	42	57
21	राजस्थान	253	349	782	309	1,693
22	सिक्किम	-	-	18	8	26
23	तमिलनाडु	77	110	2	151	341
24	तेलंगाना	5	27	60	-	93
25	त्रिपुरा	49	78	62	22	211
26	उत्तर प्रदेश	1,249	2,262	3,149	1,028	7,689
27	उत्तराखंड	71	16	33	137	258
28	पश्चिम बंगाल	305	273	241	676	1,495
29	गोवा	-	-	-	1	1
30	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	1	1
31	पूडुचेरी	-	1	-	-	1
32	अंडमान व निकोबार	-	-	1	-	1
<b>सकल योग</b>		<b>4599</b>	<b>7932</b>	<b>8995</b>	<b>6979</b>	<b>28506</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा

30.11.2018 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	2018-19	
		स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	संवितरित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	292	-
2	असम	1,298	331
3	छत्तीसगढ़	84	15
4	जम्मू एवं कश्मीर	875	223
5	मध्य प्रदेश	999	75
6	महाराष्ट्र	369	-
7	मणिपुर	60	-
8	मेघालय	208	-
9	मिजोरम	32	-
10	नागालैंड	28	-
11	ओडिशा	509	-
12	राजस्थान	594	-
13	त्रिपुरा	359	-
14	उत्तर प्रदेश	6,290	1,132
	<b>कुल</b>	<b>11,996</b>	<b>1,776</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\* \*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2674

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

कोयला आपूर्ति की कमी

2674. श्री राम कुमार शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कोयला आपूर्ति की कमी के कारण ताप विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मार्च, 2017 के दौरान देश में ताप विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और
- (ग) चालू वर्ष 2018-19 के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए इन परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत संयंत्रों में कुल कोयला प्राप्त चालू वर्ष 2018-19 (नवम्बर, 2018 तक) के दौरान 417.6 मिलियन टन (एमटी) थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 382.1 एमटी थी जो 9.3 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके फलस्वरूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दैनिक आधार पर मॉनीटर किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में पिछले वर्ष के उसी दिन 09 दिनों के लिए पर्याप्त 12.6 एमटी की तुलना में 20.12.2018 को 10 दिनों के लिए पर्याप्त 15.5 एमटी का सुधार हुआ है।

विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति में सुधार होने से देश में विद्युत की मांग अधिकांशतः कोयला आधारित उत्पादन, जो देश में कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है, द्वारा पूरी की जाती रहेगी।

2018-19 (नवम्बर, 2018 तक) के दौरान कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन 658 बिलियन यूनिट (बीयू) था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 624 बीयू था, इस प्रकार यह 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, देश में ताप विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,18,330 मेगावाट थी।

(ग) : चालू वर्ष 2018-19 (नवम्बर, 2018 तक) के दौरान कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 61.10 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 58.8 प्रतिशत पीएलएफ से अधिक था। इस प्रकार, कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के औसत उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2687

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन

2687. श्री भोला सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली की परियोजना-वार मात्रा कितनी होगी; और

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत उत्पादित होने वाली बिजली का विभिन्न राज्यों को आवंटन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : 4 यूएमपीपी अर्थात मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखंड में तिलैया सफल बोलीदाताओं को अवार्ड किए गए थे। मुंद्रा और सासन यूएमपीपी पूरी तरह से चालू हो गए हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है। विगत चार वर्षों में चालू किए गए यूएमपीपी द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख) : यूएमपीपी से विद्युत का आबंटन केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। 50 प्रतिशत विद्युत उस प्रमुख प्रापक को आबंटित की जाती है जिस राज्य में यूएमपीपी स्थित है। अतिरिक्त विद्युत का आबंटन क्षेत्र विशेष में परियोजना की स्थान-स्थिति, विद्युत की कमी, पारेषण अवसंरचना की उपलब्धता तथा स्पेशल प्रपज व्हीकल (एसपीवी), उस विशेष राज्य को विद्युत के आबंटन का अनुपात आदि पर निर्भर करता है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2687 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति**

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम तथा क्षमता	स्थान	स्थिति
1	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	सासन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।  कोयला मंत्रालय द्वारा छत्तरसाल कोयला ब्लॉक को रद्द करने के परिणामस्वरूप रिलायंस पावर लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2015 की रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपी (सी) 7334 दायर की है। मामला न्यायाधीन है। तथापि, संयंत्र प्रचालनरत है।
2	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 24.04.2007 को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	कृष्णापटनम, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 29 जनवरी, 2008 को अवार्ड तथा अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयले के मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्त नोटिस जारी कर दिए हैं। मामला न्यायाधीन है।
4	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	तिलैया गाँव के निकट, जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को 07.08.2009 को अवार्ड और अंतरित की गई।  झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का हस्तांतरण नहीं करने का उल्लेख करते हुए विकासकर्ता झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल, आरपीएल की सहायक कंपनी) ने दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) को समाप्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।  सभी प्रापकों की ओर से झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (प्रमुख प्रापक) ने 16.05.2018 को जेआईपीएल का आरपीएल से अधिग्रहण कर लिया है।  कोयला ब्लॉकों का हस्तांतरण/पुनः आबंटन झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड को करने के लिए कोयला मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2687 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत चार वर्षों के लिए चालू यूएमपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन की मात्रा

यूएमपीपी का नाम	निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू में)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (अक्तूबर, 2018 तक)
मुंद्रा यूएमपीपी	4000	26577.6	25679.75	27460.24	26514.87	14214
सासन यूएमपीपी	3960	17274	31263	29415	31792.52	18838

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2697

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

बिहार में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना

2697. श्री राजेश रंजन:

श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के बांका में प्रस्तावित 4000 मेगावाट की अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या उक्त परियोजना में देरी होने के मामले में इसकी लागत बढ़ने की शंका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : बिहार में यूएमपीपी स्थापित करने के लिए बांका जिले में काकवाड़ा में स्थल अभिचिह्नित किया गया है। परियोजना की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ख) : परियोजना की संभावित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए होगी।

(ग) और (घ) : लागत वृद्धि, यदि कोई हो, विद्युत क्रय करार (पीपीए) के प्रावधान के अनुसार समायोजित की जाएगी/देय होगी।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2697 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**बिहार में यूएमपीपी की स्थिति  
(जिला बांका, बिहार)**

भूमि	<p>i. बिहार के बांका जिले के काकवाड़ा गाँव के समीप बिहार सरकार द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को "सिद्धांततः अनुमोदन" प्रदान किया गया है।</p> <p>ii. विद्युत संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु आवेदन दिनांक 29 दिसंबर, 2016 को जिला अधिकारी (डीएम) को प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>iii. आरएंडआर कॉलोनी के लिए आवेदन दिनांक 23 जनवरी, 2017 को जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।</p> <p>iv. पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने एसआईए अध्ययन करने के लिए लागत राशि दिसंबर, 2017 में जिला अधिकारी, बांका के पास जमा करा दी है।</p> <p>v. एसआईए का अध्ययन शुरू करने के लिए भूमि की अनुमानित लागत जमा करने के लिए समय-सीमा के बारे में जिला प्रशासन राज्य सरकार से परामर्श कर रहा है।</p>								
जल	<p>गंगा नदी से 120 क्यूसेक जल आवंटित करके जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 03 मई, 2013 को "सिद्धांततः अनुमोदन" प्रदान किया गया है।</p> <p>मुंगेर जिले में महिषपुर में इनटेक प्वाइंट अभिचिह्नित किया गया है।</p>								
ईंधन	<p>i. कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के तहत इस यूएमपीपी के लिए पीरपैती/बाराहाट के कोयला ब्लॉकों की अनंतिम संस्तुति की। इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 17 फरवरी, 2016 के पत्र के तहत 165 एमटी (100 एकस्ट्रैक्टेबल एमटी) का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध कराने के लिए बिहार यूएमपीपी के लिए पीरपैती/बाराहाट के कोयला ब्लॉकों के लिए 3.2 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित किया है ताकि कोयला ब्लॉक यूएमपीपी की कोयले की आवश्यकता को पूरा कर सकें।</p> <p>ii. विद्युत मंत्रालय बिहार यूएमपीपी के लिए बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड, इंफ्रा एसपीवी के लिए बढ़ाए गए पीरपैती/बाराहाट के कोयला ब्लॉकों (3.2 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र सहित) का निश्चित आवंटन शीघ्र करने का अनुरोध करते हुए कोयला मंत्रालयों को पहले ही लिख चुका है।</p>								
एसपीवी का सृजन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रचालक एसपीवी - बिहार मेगा पावर लिमिटेड दिनांक 09 जून, 2015 को बनाया गया।</li> <li>• इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी - बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड दिनांक 30 जून, 2015 को बनाया गया।</li> </ul>								
विद्युत आवंटन	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बिहार</th> <th>झारखंड</th> <th>उत्तर प्रदेश</th> <th>कर्नाटक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000 मेगावाट</td> <td>1000 मेगावाट</td> <td>600 मेगावाट</td> <td>400 मेगावाट</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्राधिकार पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा प्रापकों द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2016 को संयुक्त विलेख करार हस्ताक्षरित किया गया है।</p>	बिहार	झारखंड	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक	2000 मेगावाट	1000 मेगावाट	600 मेगावाट	400 मेगावाट
बिहार	झारखंड	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक						
2000 मेगावाट	1000 मेगावाट	600 मेगावाट	400 मेगावाट						
पर्यावरणीय स्वीकृति	<p>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 07 जून, 2016 को विचारार्थ विषयों (टीओआर) की अनुमति प्रदान की गई है। पर्यावरण प्रभाव आंकन (ईआईए) अध्ययन अक्टूबर, 2016 में शुरू किए गए।</p> <p>तकनीकी अध्ययनों आदि से संबंधित कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।</p>								

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2733

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

पीएफसी और आरईसी का विलय

2733. श्रीमती संतोष अहलावत:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) के विलय पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निगमों में सरकार की वर्तमान में अंशधारिता कितनी है;
- (ख) क्या पीएफसी और आरईसी के प्रस्तावित विलय के कारण इन का अधिग्रहण करने वाली कंपनी की निवल संपत्ति को क्षति पहुंच सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा अधिग्रहण करने वाली कंपनी की कुल पूंजी को बरकरार रखने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार विलय होने पर आने वाले प्रचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर भी चिंतित है क्योंकि यह दोनों स्थापित कंपनियां हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सुगम विलय के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) में अपनी 52.63% हिस्सेदारी को पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड की अपेक्षित बिक्री के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया है। कारपोरेशनों में सरकार की वर्तमान भागीदारी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीपीएसई का नाम	भारत सरकार की भागीदारी का प्रतिशत
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी)	52.63%
पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)	61.48%

(ख) से (ङ) : अधिग्रहण करने वाली कंपनी का निवल मूल्य, एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में, किसी भी अधिग्रहण में कम हो जाती है जिसकी मात्रा अधिगृहीत कंपनी के अधिग्रहण के मूल्य पर निर्भर करता है, जिसका निर्धारण इस मामले में अभी किया जाना है। अधिग्रहण के साथ, पीएफसी एवं आरईसी दोनों का एक बड़े समूह में विलय हो जाएगा और समूह कंपनी की संयुक्त निवल मूल्य व्यक्तिगत इकाई से अधिक होगी। दोनों कंपनियों अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखेंगी और पीएफसी, आरईसी के प्रवर्तक समूह में प्रवेश करेंगी।

अधिग्रहण का प्रयोजन विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में समेकन प्राप्त करना, बेहतर तालमेल हासिल करना, किफायत पैमाने का सृजन करना और ऊर्जा पहुँच को समर्थन करना एवं ऊर्जा दक्षता की क्षमता में वृद्धि करना है। दोनों कंपनियों को पर्याप्त रूप से पूंजीगत बने रहने और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सतत सुधार लाने की सलाह दी गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2741

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

उजाला योजना के अन्तर्गत लक्ष्य

2741. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'उजाला' योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत तय किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं और इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि आबंटित की गई है; और
- (ख) इस योजना के अंतर्गत शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित कर्नाटक में अब तक कुल कितने एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : माननीय प्रधान मंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें 31 मार्च, 2019 तक 77 करोड़ तापदत्त बल्बों को एलईडी बल्बों से प्रतिस्थापित करने के लक्ष्य से घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने हेतु सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) तथा 1.34 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शामिल है। यह कार्यक्रम एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उजाला के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल ने संपूर्ण देश में सभी 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल करते हुए 31.75 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। एलईडी बल्ब वितरण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

उजाला कार्यक्रम स्वैच्छिक स्वरूप का है और भारत सरकार से किसी बजटीय आबंटन के बिना चलाया जा रहा है। संपूर्ण अप्रॉफिट निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है जो संपूर्ण देश की मांग समेकित करता है तथा खुदरा बाजार की तुलना में सस्ती दरों पर घरेलू उपभोक्ताओं को आगे वितरण के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए एलईडी बल्बों का प्रापण करता है।

(ख) : उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत ईईएसएल ने शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 10.01 लाख एलईडी बल्बों सहित कर्नाटक राज्य में 2.16 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2741 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एलईडी बल्बों के वितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण		
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संवितरित एलईडी बल्बों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,00,000
2.	आंध्र प्रदेश	2,20,03,365
3.	अरुणाचल प्रदेश	4,99,498
4.	असम	27,65,358
5.	बिहार	1,92,17,441
6.	चंडीगढ़	5,33,905
7.	छत्तीसगढ़	1,06,05,882
8.	दादरा और नगर हवेली	1,63,808
9.	दमन और दीव	1,42,623
10.	दिल्ली	1,28,89,910
11.	गोवा	8,51,063
12.	गुजरात	4,05,85,509
13.	हरियाणा	1,55,20,216
14.	हिमाचल प्रदेश	81,78,209
15.	जम्मू व कश्मीर	79,54,364
16.	झारखंड	1,34,87,262
17.	कर्नाटक	2,16,75,389
18.	केरल	1,51,50,200
19.	लक्षद्वीप	1,00,000
20.	मध्य प्रदेश	1,73,42,129
21.	महाराष्ट्र	2,18,81,333
22.	मणिपुर	2,99,934
23.	मेघालय	4,29,769
24.	मिजोरम	6,15,225
25.	नागालैंड	10,98,938
26.	ओडिशा	1,85,74,764
27.	पुडुचेरी	6,09,251
28.	पंजाब	13,45,792
29.	राजस्थान	1,59,77,770
30.	सिक्किम	1,64,000
31.	तमिलनाडु	34,87,483
32.	तेलंगाना	21,71,625
33.	त्रिपुरा	10,08,836
34.	उत्तर प्रदेश	2,54,14,408
35.	उत्तराखंड	51,87,635
36.	पश्चिम बंगाल	92,03,980
<b>कुल</b>		<b>31,75,36,874</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2742

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

कोयला-आधारित संयंत्रों हेतु उत्सर्जन मानक

2742. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कोयला-संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन संबंधित मानकों की गैर-अनुपालना से बड़ी संख्या में असामयिक मौतें हो रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा कोयला-संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन-संबंधी मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : ताप विद्युत संयंत्रों से प्रदूषण तथा बड़ी संख्या में असामयिक मौतों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने वाली कोई रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि शक्ति सस्टेनबल एनर्जी फाउंडेशन और सेंटर फॉर स्टडी आफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पालिसी (सीएसटीईपी) द्वारा जुलाई, 2018 में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, यदि वर्ष 2025 तक मानकों को पूरा किया जाता है तो 2030 तक 3.2 लाख से अधिक असामयिक मौतें, 5.2 करोड़ (52 मिलियन), रैस्पिरेटरी हास्पिटल एडमिशन (आरएचए) और 126 मिलियन वर्क लॉस डेज (डब्ल्यूएलडी) को बचाए जा सकते हैं। मौद्रिक स्वास्थ्य लाभों (अनुमानतः 9,62,222 करोड़ रुपए) में से 92 प्रतिशत बच सकने योग्य मौतों में से हैं और 8 प्रतिशत रुग्णता में कमी अर्थात् बच सकने योग्य आरएचए तथा डब्ल्यूएलडी से हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 7 दिसम्बर, 2015 और 28 जून, 2018 को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निम्नलिखित नई पर्यावरणीय मानदंड अधिसूचित किए हैं।

उत्सर्जन मापदण्ड	31 दिसंबर, 2003 से पहले स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)	31 दिसंबर, 2003 के बाद तथा 31 दिसंबर, 2016 तक स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)	1 जनवरी, 2017 से स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)
पर्टिकुलेट मैटर	100 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	50 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	30 एमजी/एनएम <sup>3</sup>
सल्फर डाई	500 मेगावाट से कम	500 मेगावाट से कम क्षमता की	100 एमजी/एनएम <sup>3</sup>

ऑक्साइड (SO <sub>2</sub> )	क्षमता की इकाईयों के लिए 600 एमजी/एनएम <sup>3</sup> 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	इकाईयों के लिए 600 एमजी/एनएम <sup>3</sup> 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	
नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO <sub>x</sub> )	600 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	300 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	100 एमजी/एनएम <sup>3</sup>
पारा	0.03 एमजी/एनएम <sup>3</sup> (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए)	0.03 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	0.03 एमजी/एनएम <sup>3</sup>

देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पणधारकों के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1,61,402 मेगावाट (414 इकाई) क्षमता के लिए संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना और 64,525 मेगावाट (222 इकाई) क्षमता के लिए संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसीपीटर का अपग्रेडेशन करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2022 से पूर्व कार्यान्वित की जानी है) तैयार की गई थी और यह योजना दिनांक 13.10.2017 को एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की गई थी। सीईए द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देश जारी किए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2756

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलना

2756. श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत संस्थापित किए गए अधिकतर 10 केवीए और 16 केवीए ट्रांसफार्मर जल चुके हैं और उनके स्थान पर नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए हैं जिसके कारण उन गांवों में बिजली नहीं आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त जिले के गांवों में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीबीएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के विभिन्न गांवों में 10 केवीए तथा 16 केवीए के 1455 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) जले हुए हैं और बदले जाने हेतु अभिचिह्नित किए गए हैं। इनमें से 10/16 केवीए के 575 जले हुए डीटी के स्थान पर 27.11.2018 की स्थिति के अनुसार 25/63 केवीए के वितरण ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

... ..

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2759

जिसका उत्तर 27 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों को पुरस्कार

2759. श्री राजेश कुमार दिवाकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौभाग्य योजना की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) किन राज्यों ने 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और कितने राज्य उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों के लिए, जो उक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2018 करने की योजना बना रही है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा किस अंतिम समय सीमा का सुझाव दिया गया है, यदि कोई हो तो और

(घ) क्या सरकार का, जिन राज्यों ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उनकी विद्युत वितरण कंपनियों/बिजली विभागों को पुरस्कार देने का प्रस्ताव है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत से देश में दिनांक 20 दिसंबर, 2018 तक 2.26 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य में 31 मार्च, 2019 तक शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण की परिकल्पना की गई है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) : सरकार ने, उन डिस्कॉमों और राज्य के विभागों के लिए नगद पुरस्कार शुरू किए हैं जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत 30 नवंबर, 2018 तक 100% घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं।

अवार्ड निम्नलिखित तीन श्रेणियों में है:

- (i) विशेष श्रेणी राज्य के डिस्कॉम/विद्युत विभाग, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्य सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं,
- (ii) विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के डिस्कॉम/विद्युत विभाग, जिनमें 5 लाख से अधिक गैर-विद्युतीकृत घर हैं,
- (iii) विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा अन्य राज्य के डिस्कॉम/विद्युत विभाग, जिनमें 5 लाख से कम गैर-विद्युतीकृत घर हैं,

विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा अन्य राज्य हैं-बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

ऐसे राज्य/डिस्कॉम, जो पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, अवार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में प्रत्येक में दो पुरस्कार हैं। दिनांक 30 नवंबर, 2018 तक 100% घरों का विद्युतीकरण हासिल करने वाले पहले डिस्कॉम/विद्युत विभाग को अवार्ड 50 लाख रुपये की नकद राशि दी जाएगी। संबंधित राज्यों के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच इस नकद पुरस्कार को वितरित करने का तंत्र बनाएंगे। इस राशि से 20 लाख रुपये अधिकतम संख्या में घरों का विद्युतीकरण करने वाले डिस्कॉम/विद्युत विभागों के प्रभाग के कर्मचारियों को दिए जाएंगे।

दूसरे पुरस्कार में 100 करोड़ रुपये की नकद राशि शामिल है जिसे संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग को उनके प्रचालन क्षेत्र में वितरण अवसंरचना विकास में खर्च करने के लिए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) इस राशि से निष्पादित किए जाने वाले कार्य का निर्णय करेंगे।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2759 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों की स्थिति

20.12.2018 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत घर (%)
1	आंध्र प्रदेश	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	88.17
3	असम	89.53
4	बिहार	100.00
5	छत्तीसगढ़	99.32
6	गोवा	100.00
7	गुजरात	100.00
8	हरियाणा	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	100.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	100.00
11	झारखंड	93.30
12	कर्नाटक	98.81
13	केरल	100.00
14	मध्य प्रदेश	100.00
15	महाराष्ट्र	99.99
16	मणिपुर	100.00
17	मेघालय	78.51
18	मिजोरम	100.00
19	नागालैंड	91.59
20	ओडिशा	99.03
21	पुडुचेरी	100.00
22	पंजाब	100.00
23	राजस्थान	95.66
24	सिक्किम	97.81
25	तमिलनाडु	100.00
26	तेलंगाना	100.00
27	त्रिपुरा	100.00
28	उत्तर प्रदेश	84.90
29	उत्तराखंड	100.00
30	पश्चिम बंगाल	100.00
	<b>कुल</b>	<b>96.71</b>

\*\*\*\*\*